मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
====X====

क्रमांक 447/1217/82/निगम-1/चार, भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल, 1982.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय:- अर्जित अवकाश का समर्पण तथा नगदीकरण ।
संदर्भ:- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक ए-1-14-1/73-आर-1/चार, दिनांक 28-5-74.

वित्त विभाग के संदर्भाधीन ज्ञापन द्वारा शासकीय सेवकों को उनकी स्वेच्छानुसार दो वर्ष के अंतराल से 30 दिन के अथवा एक वर्ष के अंतराल से 15 दिन के अर्जित अवकाश के समर्पण एवं नगदीकरण की सुविधा प्रदान की गई थी । वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 646/3063/77/नि-1/चार, दिनांक 6-6-78 के कंडिका-5 में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्व में यदि अर्जित अवकाश का 30 दिन का समर्पण किया गया है तो आगामी अवकाश के समर्पण की पात्रता 24 माह की समयावधि के पश्चात ही होगी ।

राज्य शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि जिन कर्मचारियों ने पूर्व में 30 दिन के अर्जित अवकाश का समर्पण किया है, यदि वे चाहें तो, उन्हें पूर्व के नगदीकरण के एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर (अर्थात बिना दो वर्ष पूर्ण हुये) 15 दिनों के अर्जित अवकाश के समर्पण की पात्रता होगी । इस सुविधा का लाभ लेने वाले कर्मचारी आगे एक वर्ष की समयावधि के पश्चात 15 दिन के अर्जित अवकाश के समर्पण का लाभ ले सकेंगे ।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता/
(शरण भटनागर)
विशेष सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.